न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 61/25 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2025/225

1. श्री गोपीबाई पति केसुराम डांगी निवासी टेरिया लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर।

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पिता चंपालाल राव निवासी बीड़घास तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री रामसिंह पिता चंपालाल राव निवासी बीड़घास तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. पटवारी पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश चन्द्र डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 28.05.2025

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा बीड़घास पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 479 रकबा 1.1574 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के नाम सम्पूर्ण हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज है। पश्चिम दिशा में विपक्षीगण की खातेदारी भूमि है। विपक्षी संख्या 1 व 2 पड़ौसी होने से हर वर्ष वर्षा के समय लड़ाई झगड़ा करते है और मुझ प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करते है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश फरमाया जावे की उक्त वर्णित कृषि भूमि की पश्चिमी दिशा की सीमा का सीमाकंन करवाया जाकर पत्थरगड़ी कराई जावें।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थि रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी 3, 4 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी हक की भूमि है जिसमें विपक्षी स[illegible] 2 का किसी प्रकार का कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीया की भूमि की पश्चिमी दिशा का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा बीड़घास पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 52 पर दर्ज आराजी नम्बर 479 किता 1 कुल रकबा 1.1574 हैक्टर भूमि की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थीया के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 व 2 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीया द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के मध्य सीमा संबंधि विवाद नही रहेगा। इसलिये प्रार्थीया को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

4. अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा बीड़घास पटवार हल्का लोपड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 52 पर दर्ज आराजी नम्बर 479 किता 1 कुल रकबा 1.1574 हैक्टर भूमि की पश्चिमी दिशा का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 की उपस्थिति में की जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थीया मौके पर अदा करें।

5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested